पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 बावजूद सूचना उपस्थित नही। अप्रार्थी संख्या 1 रायसिंह व अप्रार्थी संख्या 2 विकास गोदारा की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि की भरपाई के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ने चक 4 एमजेडी के खाता संख्या 86/61 में प.न. 167/189 के मु.न. 49 के किला नं. 16/1 व 25/1 में 0.019 है. प्रत्येक बीघा में अर्थात 0.038 है. प्रार्थीगण को देना तय हुआ है का कथन करते हुए रास्ता स्वीकृति बाबत अपनी सहमति दी गई। अप्रार्थी संख्या 8 ने भी जरिये अधिवक्ता अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता स्वीकृति हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई। जो शामिल पत्रावली है। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 752 दिनांक 12.12.24 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई जिसमें प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता होना व जमीन के बदले जमीन पर प्रार्थी/अप्रार्थी सहमत होना बतलाते हुए रास्ता स्वीकृत किये की अनुंशषा की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 6 के अनुसार प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आवागमन कृषि कार्यो के सम्पादन व उपयोग उपभोग करने हेतु प्रथम पक्ष का चक 4 एमजेडी के खाता संख्या 73/12 में अपने कब्जाकाश्त के प.न. 166/189 म.न. 48 किला नं. 5/1 में 0.025 अर्थात 2 बिस्वा रास्ता व किला नं. 6 में 0.003 है. रास्ता मोड हेतु दिया है। उक्त रास्ता उतर से दक्षिण मु.न. 49 के किला नं. 1 के चिपता हुआ व किला नं. 10 जो कि प्रार्थीगण के कब्जा में है। प्रार्थीगण को जाने के लिए मु.न. 48 किला नं. 6 मे छोड़ा है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 1 व 2 ने चक 2 डीएलपी के प.न. 167/190 मु.न. 23 लि नं. 8 व 9 में पूर्व से पश्चिम किला नं. 12 व 13 चिपता हुआ 2–2 बिस्वा अर्थात 0.025 है. व किला नं. 8 के पूर्वी दिशा किला नं. 7 के चिपता हुआ 0.025 है. उतर से [illegible] किला नं. 3 में 0.003 है. दक्षिण पूर्व [illegible] रास्ते में प्रार्थीगण की कृषि भूमि [illegible] आई है इसलिए उक्त कृषि भूमि की भरपाई के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ने चक 4 एमजेडी के खाता

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 16:20:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 86/61 में प.न. 167/189 के मु.न. 49 के किला नं. 16/1 व 25/1 में 0.019 है. प्रत्येक बीघा में अर्थात 0.038 है. प्रार्थीगण को देना तय हुआ है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति 251–ए आरटीए स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण की मांग /सहमति अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार संगरिया को उक्त मंजूरशुद्वा रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने एवं चक 4 एमजेडी के खाता संख्या 86/61 में प.न. 167/189 के मु.न. 49 के किला नं. 16/1 व 25/1 में 0.019 है. प्रत्येक बीघा में अर्थात 0.038 है. प्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते है। तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27-01-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 16:20:28 IST
Reason: SelfAttested

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner